पंचम् अध्याय

महात्मा ज्योतिराव फुले के शिक्षा के विभिन्न स्तरों व आयामों के सन्दर्भ में विचार

5.1 प्रस्तावना–

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। यह एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है जिसका न कोई आदि है न ही कोई अन्त। शिक्षा द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान, कला, कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मानव जन्म से लेकर अपने अस्तित्व के धूमिल होने तक शिक्षारत् रहता है।

किसी भी राष्ट्र अथवा समाज में शिक्षा सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व निर्माण तथा सामाजिक व आर्थिक प्रगति का मापदण्ड होती है। शिक्षा विहीन समाज के लिये किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना असंभव है। शिक्षा द्वारा ही एक सामान्य व्यक्ति को समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। शिक्षा की महत्ता को देखते हुये मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र (1948) में शिक्षा को प्रत्येक मनुष्य के मूल अधिकारों में से एक माना गया है।

विदित है कि 42 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एकता व अखण्डता शब्दों को जोड़ा गया था जो इस बात के प्रतीक हैं कि हमारी सरकार किस सीमा तक व्यक्ति की गरिमा और समाज के प्रत्येक वर्ग को समानता के आधार पर शिक्षा देनें हेतु कटिबद्ध है किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के 65 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी अशिक्षा की विभीषिका हमारे मस्तक पर कलंक की भाँति अंकित है।

शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के पश्चात् पिछले कुछ वर्षो में सरकार की विद्यालयी शिक्षा में सुधार लाने के प्रति गंभीरता दृष्टिगोचर हो रही है परन्तु अभी भी यह संदेह है कि क्या इस कानून का वास्तविक लाभ उन बच्चों को मिल सकेगा जिनके लिये यह कानून बनाया गया है। क्योंकि वास्तविक व पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब देश के प्रत्येक बच्चे को इसके साथ जोड़ा जाए व उन्हे साक्षर बनाया जाए।

प्रत्येक समाज अथवा राज्य शिक्षा की व्यवस्था व्यक्ति, समाज व राष्ट्र सभी के उत्थान की दृष्टि से करता है। सामाजिक दृष्टि से शिक्षा के दो कार्य है– सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन। इन कार्यो के अतिरिक्त भी शिक्षा के कुछ अन्य कार्य व उद्देश्य है जो निम्नांकित है–

1. समाज के प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक विकास, इन्द्रिय प्रशिक्षण और जन्मजात शक्तियों का विकास।
2. व्यक्तियों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के साथ–साथ नैतिक व चारित्रिक विकास।
3. समाज की संस्कृति का संरक्षण करना तथा उसमें देशकाल के अनुसार विकास करना।
4. व्यक्तियों को जीविकोपार्जन हेतु तैयार करना।
5. समाज के व्यक्तियों को सामाजिक लक्ष्यों से परिचित कराना और उन्हें उनकी प्राप्ति की ओर अग्रसर करना।

6. व्यक्तियों को धर्म–दर्शन का ज्ञान कराना तथा उनमें आध्यात्मिक चेतना का विकास करना।

इस प्रकार शिक्षा समाज में विभिन्न प्रकार से परिवर्तन लाकर समाज को नयी दिशा व दशा की ओर अग्रसित करती है। समाज में अशिक्षा मिटाने तथा सामाजिक परिवर्तन को एक नयी दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से सदैव ही विभिन्न महापुरुषों द्वारा प्रयास किये जाते रहे हैं। साथ ही विभिन्न सामाजिक विचारकों ने शिक्षा को मुख्य आधार बनाया और अपने शैक्षिक विचारों से समाज एवं राष्ट्र को प्रभावित किया। इन विचारकों में महात्मा ज्योतिराव फुले का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होने आधुनिकता, तार्किकता, मानवीय गरिमा को महत्व प्रदान करते हुये समाज को नई चेतना की ओर उन्मुख किया। उन्होंने समाज के अपवंचित वर्ग को शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर उपलब्ध कराया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपने विचारो, व्याख्यानों, सम्बोधनों, नीतियों, पत्र–पत्रिकाओं आदि के माध्यम से शिक्षा पर अमिट छाप छोड़ी है। प्रस्तुत अध्याय में महात्मा ज्योतिराव फुले के शैक्षिक विचारों का वर्णन शिक्षा के विभिन्न आयामों के सन्दर्भ में किया गया है।

5.2 महात्मा ज्योतिराव फुले के शिक्षा के विभिन्न स्तरों व आयामों के संदर्भ में विचार–

ज्योतिराव फुले ने प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की संकल्पना प्रस्तुत की जिसका स्वरूप लोकतंत्रात्मक व सार्वभौमिक हो। माध्यमिक स्तर पर फुले ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार को प्रमुखता दी है तथा निजी स्तर पर चलाए जा रहे

माध्यमिक विद्यालयों पर सरकार द्वारा उन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने सम्बंधी सुझाव दिए हैं। उच्च स्तर पर ज्योतिराव फुले ने रोजगारपरक शिक्षा को प्रमुखता दी है। सभी स्तरों पर ज्योतिराव फुले ने अपवंचित वर्ग को सरकार की तरफ से आरक्षण प्रदान करने, छात्रवृत्ति देने की भी सिफारिश की है। उन्होंने प्रत्येक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया है क्योंकि प्रशिक्षित अध्यापक ही शिक्षा में गुणात्मक सुधार ला सकता है।

ज्योतिराव फुले ने शूद्र–अतिशूद्र, नारी शिक्षा व उत्थान के साथ कृषकों की स्थिति में सुधार हेतु भी अपने सुझाव प्रस्तुत किये है। उन्होने कृषक बालकों हेतु विशेष कृषि शिक्षा की व्यवस्था करने की बात की है जिससे वे आधुनिक तकनीकी को अपनाकर कृषि में सुधार कर सकें।

महात्मा ज्योतिराव फुले परम्परागत शिक्षा के विरोधी थे क्योकि परम्परागत शिक्षा में असमानता, धार्मिक अंधविश्वास व रूढ़िवादी प्रवृत्तियाँ व्याप्त थी। अतः उन्होने इसमें आमूल चूल परिवर्तन की बात की है। उनका मूल उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना था जो व्यक्तियों के मध्य की दीवारों को तोड़ दे, जाति भेद, वर्ग–भेद को समाप्त कर विश्व की सम्पूर्ण मानवता के एक सूत्र में पिरोकर वसुधैव कुटुम्बकम् के लक्ष्य की प्राप्ति में सार्थक हो सके। वह गोत्र, जाति, नाम, धर्म के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा की निन्दा करते है क्योकि इन बंधनो के कारण शिक्षा पाने के नैसर्गिक अधिकार का हनन होता है।

शिक्षा के प्रत्येक आयाम और स्तरों के संदर्भ मे महात्मा ज्योतिराव फुले के विचारो का समीक्षात्मक अध्ययन निम्नवत् है–

5.3 शिक्षा का अर्थ–

शिक्षा मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य होने के साथ–साथ वांछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का एक उपयोगी साधन है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व व बुद्धि का विकास कर उसे आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यों को सम्पन्न करने योग्य बनाती है। समाज में व्याप्त असमानता, शोषण, अंधविश्वास, संकीर्णता, रूढ़िवादिता आदि का विनाश शिक्षा के माध्यम से ही संभव है।

महात्मा ज्योतिराव के जीवन का लक्ष्य नारी, शूद्र–अतिशूद्रों में शिक्षा का प्रसार व प्रचार करना था, उनका मानना था कि शिक्षा के बिना भारतीय समाज का विकास संभव नही है। वह लोकतंत्रात्मक तथा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के समर्थक थे।

ज्योतिराव फुले ने सार्वभौमिक तथा सामान्य शिक्षा की संकल्पना प्रस्तुत की है, जिसका स्वरूप मौलिक व सरल हो। वह लिंग, जाति, वर्ग अथवा धर्म आधारित भेदभाद के बिना सभी के लिए समान शिक्षा के पक्षधर थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग समाज में परिवर्तन लाने हेतु किया जा सकता है। उनका विश्वास था कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने मानवीय अधिकारों के प्रति सचेत हो सकता है तथा उनकी प्राप्ति हेतु संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त करता है।

ज्योतिराव की शिक्षा का स्वरूप मानवतावादी है। इस संदर्भ में धनंजय कीर ने लिखा है– ''ज्योतिराव फुले की यह राय थी कि निम्न वर्ग के लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाए

कि वे अपनी सामाजिक समता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिये लड़ने को तैयार हो सके'' (कीर, 1990)।

महात्मा ज्योतिराव फुले परम्परागत शिक्षा के विरोधी थे क्योकि परम्परागत शिक्षा में असमानता, धार्मिक अंधविश्वास व रूढ़िवादी प्रवृत्तियाँ व्याप्त थीं। उनका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से ऐसी समानतावादी व्यवस्था की स्थापना करना था जो व्यक्तियों के मध्य जाति–भेद, वर्ग –भेद, लिंग भेद को समाप्त कर सम्पूर्ण मानवता को एक सूत्र में पिरो सके।

5.4 शिक्षा का उद्देश्य–

किसी भी समाज में शिक्षा के उद्देश्य वहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। समाज के स्वरूप व आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्यों की रूपरेखा निर्धारित होती है। यदि समाज में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, असमानता, अस्पृश्यता आदि बुराइयाँ व्याप्त हैं तो शिक्षा का उद्देश्य भी इसी संदर्भ को लेकर होगा और यदि समाज में आधुनिकता, स्वतंत्रता, समानता होगी तो शिक्षा के उद्देश्यों में ये तत्व परिलक्षित होते है। शिक्षा का उद्देश्य बालको को सही मार्ग पर ले जाना होता है। इस मार्ग का निर्धारण देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार भिन्न–भिन्न होता है। प्रो0 हार्न के अनुसार है कि ''शिक्षा का कोई एक अंतिम उद्देश्य नही है जो छोटे उद्देश्यों पर शासन कर सके।'' (सक्सेना, 1995)

महात्मा ज्योतिराव फुले समाज मे प्रचलित ऐसी व्यवस्था के विरोधी थे जिसमें संकीर्णता, रूढ़िवादिता, शोषण व असमानता के कारण समाज विक्षिप्त हो चुका हो। वह

इन असामाजिक तत्वों को शिक्षा के माध्यम से दूर करना चाहते थे। महात्मा ज्योतिराव फुले के शैक्षिक चिंतन की समीक्षा करने पर उनकी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य दृष्टिगोचर होते हैं :–

1. समाज में व्याप्त असमानता, शोषण, ऊँच–नीच की भावना को दूर करने सम्बंधी उद्देश्य।
2. पिछड़े एवं वंचित वर्ग को विशेष अवसर उपलब्ध कराने का उद्देश्य।
3. व्यक्ति की गरिमा के निर्धारण का उद्देश्य।
4. जीविकोत्पार्जन का उद्देश्य।
5. ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य।
6. चरित्र निर्माण का उद्देश्य।
7. रूढ़िवादिता व अंधविश्वास से मुक्ति।
8. अस्पृश्यता का विरोध।
9. निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य।

ज्योतिराव फुले के शैक्षिक उद्देश्य व्यक्ति के सर्वागीण विकास से सम्बंधित है उन्होने शिक्षा के माध्यम से मानव जीवन के समस्त पक्षों में सुधार का प्रयत्न किया है। अतः उनके शैक्षिक उद्देश्य मौलिक, सार्वभौमिक, आधुनिक तथा वैज्ञानिक है जो तर्क पर आधारित ज्ञान की खोज पर बल देते हैं न कि कल्पना आधारित अंधकारपूर्ण समाज की रचना पर। चूँकि ज्योतिराव फुले के शैक्षिक उद्देश्य व्यापक है अतः उन पर कार्य करने हेतु ज्योतिराव न वृहद् पाठ्यचर्चा व शिक्षण विधियों की संकल्पना प्रस्तुत की है।

5.5 पाठ्यचर्या–

ज्योतिराव फुले का दर्शन मानवतावादी था अतः वे धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम के समर्थक थे। उन्होने शिक्षा के किसी भी स्तर पर धार्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान नही दिया है क्योकि धार्मिक शिक्षा तर्कशून्य अंधविश्वासों को जन्म देती है, मनुष्य की नियति को किसी पराभौतिक शक्ति के साथ जोड़कर उसे निरीह बनाती है और मानव समाज को विभिन्न सम्प्रदायों में विभक्त कर देती है। इसीलिये ज्योतिराव का विश्वास धार्मिक शिक्षा में न होकर सामाजिक नैतिकता में है जो देश व काल के सापेक्ष होती है।

पाठ्यक्रम का निर्माण समाज की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के आधार पर किया जाता है। अतः ज्योतिराव व्यवहारिक तथा सामान्य शिक्षा के पक्षधर थे। अतः उन्होने पाठ्यक्रम में विभिन्न व्यवहारिक पक्षों को महत्व प्रदान किया है। ज्योतिराव का विश्वास था कि आर्थिक स्थिति में सुधार से ही सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक सुधार सम्भव है। अतः उनकी शिक्षा की संकल्पना रोजगारपरक है वह शिक्षा के माध्यम से लोगो को आत्मनिर्भर व परिश्रमी बनाना चाहते थे। अतः उन्होने पाठ्यचर्या में रोजगारपरक विषयों जैसे कुटीर उद्योग, हस्तकौशल, कृषि आदि को विशेष स्थान प्रदान किया है।

ज्योतिराव ने मातृभाषा व अंग्रेजी भाषा दोनो का ज्ञान ही आवश्यक माना है क्योंकि मातृभाषा में जहाँ विषयों को समझना सरल होता है वही अंग्रेजी के ज्ञान से

देश–विदेश और संसार के ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता मिलती है उन्होने अपनी पुस्तक 'अखण्डादि काव्य रचना' में स्वभाषा के महत्व को स्पष्ट करते हुये कहा है–

स्वभाषा सीखिये, भाषण कीजिए।

सदगुणी होईये। स्वभाव से ।(फुले, 1991)

दोनो भाषाओं का ज्ञान ही व्यक्ति को वर्तमान समय में सबल व सक्षम बना सकता है जैसा उन्होंने कहा कि–

सभी भाषाओं में है जो सिद्ध हस्त । सदगुणी सम्पन्न सत्यवादी।।

उसे नही दिक्षा–सत्ता का बल। उम्र की मर्यादा।। उसको कहे।। (मेश्राम, 2002)।

ज्योतिराव मुस्लिम बालकों के लिये शिक्षा के माध्यम के रूप में उर्दू भाषा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि "मराठी और अंग्रेजी में रूचि न होने के कारण मुसलमान शिक्षा से दूर रहे है और ऐसी पाठशालाये कम ही हैं जहाँ उनकी भाषा में पढ़ाई होती है।" अतः मुस्लिमों के लिये उनकी भाषा में विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिये। (जगताप, 1993)

ज्योतिराव ग्रामीण तथा शहरी विद्यालयों में अलग–अलग पाठ्यक्रम लागू करने के पक्षधर थे। क्योकि दोनो स्थानों की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में विभिन्नता होती है। ज्योतिराव ने प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा व्यवस्थाओं के लिये अत्यन्त स्पष्ट व मौलिक पाठ्यक्रम का निर्माण किया है। जो निम्नवत् है–

- **प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या–**

हण्टर आयोग (1882), को दिये गये प्रतिवेदन में ज्योतिराव ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्बंध में मत प्रकट किया है। उनका विचार था प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यवहारिक होना चाहिए पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में मोड़ी–बालबोध, लेखन–वाचन, गणित की जानकारी, सर्वसाधारण इतिहास, भूगोल, व्याकरण का प्राथमिक ज्ञान, नीति, स्वास्थ्य सम्बंधी जानकारी सम्मिलित करनी चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए विद्यार्थियों को कृषि विषयक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु आदर्श कृषि की छोटी सी योजना बनायी जानी चाहिए।

पाठ्यपुस्तकों का स्वरूप व्यवहारिक तथा प्रगतिशील होना चाहिए। ज्योतिराव ने प्राथमिक स्तर पर भी तकनीकि शिक्षा, नैतिक शिक्षा, महत्वपूर्ण कला कौशल तथा स्वच्छता की शिक्षा को विशेष स्थान प्रदान किया गया है। स्वच्छता के ज्ञान द्वारा ही उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होनें 'अखण्डादिकाव्य रचना में लिखा है–

स्वच्छता के लिए नहाना चाहिए। कपड़ा से पौछा तुरन्त ही।

नहानें का आलस। फुंसियों का, खुजली का मरीज। अद्यस्थान।। (मेश्राम, 2002)।

कुसुम यदुलाल ने ज्योतिराव फुले के प्राथमिक शिक्षा सम्बंधी विचारों को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि–''प्राथमिक शिक्षा बालकों को प्रदान करने का कार्य मॉ ही भली भॉति

कर सकती है। उनका कहना है कि एक शिक्षित माता जो सुसंस्कार दे सकती है, उन्हे हजार अध्यापक या गुरू नहीं दे सकते'' (यदुलाल, 2006)।

ज्योतिराव ने प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों, पुरस्कारों, उनके निवास तथा अध्ययन के लिये छात्रावास, निःशुल्क पुस्तकों, रात्रि पाठशालाओं आदि सुविधाओ की व्यवस्था करनें की माँग सरकार से की है।

- **उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या –**

फुले ने उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या पर भी विस्तार से चर्चा की है फुले शिक्षा का उत्तरदायित्व निजी संस्थाओ को सौंपने के विरोधी थे । उच्चशिक्षा के सम्बंध में उनका विचार था कि उसे सरकारी नियंत्रण में ही रखा जाना चाहिए । हण्टर आयोग को दिये गये प्रतिवेदन में कहा है कि शिक्षा के सभी स्तरों का विकास करने के लिये आवश्यक आस्था तथा कृपा दृष्टि केवल सरकार ही दिखा सकती है।

ज्योतिराव फुले ने उच्चशिक्षा के स्वरुप की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा है कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए कि यह सब के पहुँच के अंदर हो तथा मैट्रिक परीक्षा से संबंधित पुस्तकों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाए जैसा मद्रास व बंगाल में होता है। उन्होने व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करके परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की बात की है ताकि देश में उच्च शिक्षा के प्रसार को गति मिल सके। उनका विचार था कि बी.ए. तथा एम.ए. आदि स्नातक परीक्षा के विषय में निजी अध्ययन को मान्यता मिलनी चाहिए जिससे युवक व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन कर समय का सदुपयोग कर सकें।

उच्च शिक्षा में ज्योतिराव ने ऐसे विषयों का समावेश करने पर बल दिया था जो रोजगारपरक हों जिनके अध्ययन द्वारा युवको को सरकारी नौकरी प्राप्त हो सके या वे किसी व्यवसाय अथवा हस्तकौशल में निपुण हो सकें।

फुले ने उच्च शिक्षा में मिलने वाली छात्रवृत्ति की बुरी व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है उनके अनुसार छात्रवृत्ति ऐसे छात्रों को मिलनी चाहिये जिन्हे वास्तविकता में इसकी आवश्यकता है। इंजीनियरिंग कालेज या अन्य तकनीकि शिक्षा संस्थाओं में शूद्रों के बालकों को निःशुल्क प्रवेश मिलना चाहिए (फुले, 1882)।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ज्योतिराव के अनुसार सरकारी महाविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने वाला होना चाहिए। इसका पाठ्यक्रम इतना व्यवहारिक होना चाहिए कि छात्र अपना भावी जीवन पूर्ण स्वतंत्रता से व्यतीत कर सकें।

5.6 शिक्षण विधियाँ–

किसी भी समाज की शिक्षा योजना में शिक्षण विधियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पाठ्यक्रम एवं शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही शिक्षण विधियाँ निर्धारित की जाती है। शिक्षण विधि निर्धारण के लिये अग्रलिखित तीन मापदण्ड आवश्यक है प्रथम बालक की शारीरिक व मानसिक स्थिति द्वितीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तृतीय मानववादी उपागम (ओड, 2011)।

इन आयामों को ध्यान में रखकर जिन शिक्षण विधियों की संरचना की जाती है वह अत्याधिक मौलिक, सरल व वस्तुनिष्ठ होती है। ज्योतिराव मानवतावादी दार्शनिक है

अतः उनकी शिक्षण विधियों में मानवतावाद का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। उनकी शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक व सरल है उनका उद्देश्य जन–जन के बीच शिक्षा का प्रसार करना है, अपने इसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु उन्होने अत्यंत सरल भाषा व विधियों के माध्यम से साहित्य सृजन किया तथा सरल व प्रभावात्मक शिक्षण विधियों के चुनाव का समर्थन किया है जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी शिक्षा का लाभ उठा सके। ज्योतिराव के चिंतन की समीक्षा करने पर स्पष्ट है कि उन्होने शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित शिक्षण विधियों को प्रभावी माना है–

- **प्रश्नोत्तर पद्धति–** ज्योतिराव ने अपने शैक्षिक दर्शन में प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि का सर्वाधिक उपयोग किया है। समस्या पूछना और उसका समाधान प्रस्तुत करना ही इस पद्धति का उद्देश्य है। ज्योतिराव ने तृतीय रत्न नाटक, गुलामगिरी, सत्सार भाग 1 व 2, सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक आदि की रचना प्रश्नोत्तर पद्धति पर ही आधारित है।

- **कथात्मक पद्धति–** यह विधि संसार की प्राचीनतम विधि है। इसी विधि के द्वारा व्यक्ति प्राचीनकाल से ज्ञान का प्रसार करता आया है। वेद, बाइबिल आदि धर्मग्रन्थों में इसी विधि का आश्रय लिया गया है ताकि प्रस्तुत विचार सहजता से ग्रहण हो सके। यदि शिक्षा से कथात्मक विधि को अलग कर दिया जाए तो वह निष्प्राण हो जाएगी। ज्योतिराव के साहित्य में शिक्षा की तमाम प्रवृत्तियों में कथा तत्व का स्पन्दन देखने को मिलता है।

- **प्रयोग– प्रदर्शन पद्धति–** यह अध्यापन की एक प्रमुख विधि है, जिसमें अध्यापक विषय वस्तु को प्रयोग व प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करते है तथा छात्र उसे ग्रहण करते है। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान अत्यधिक स्थायी होता है। ज्योतिराव ने प्रयोग–प्रदर्शन विधि के विषय में लिखा है, ''शूद्र किसानों के बच्चों को विद्वान करने के लिये उनकी ही जाति के शिक्षक जो खेत में बीज बोने की विधि तथा औजार व हल चलाना आदि स्वयं करके दिखा सकें, विद्यालयों में नियुक्त किये जाने चाहिए'' (मेश्राम, 2002)।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्योतिराव प्रयोग–प्रदर्शन विधि के पक्षधर है।

- **पर्यटन पद्धति–** पर्यटन पद्धति के अर्न्तगत छात्रों को स्वयं अवलोकन करने निरीक्षण करने, स्पर्श करने व परखने का सुअवसर पाप्त होता है इस प्रकार प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक स्थाई व वस्तुनिष्ठ होता है। मुरलीधर जगताप ने अपनी पुस्तक में ज्योतिराव के शिक्षण विधि सम्बंधी विचार का वर्णन करते हुये स्पष्ट किया है कि ''अश्विन मास में फसलों का निरीक्षण करने और हल चलाने, किसानो के बच्चों को लोहारी और बढ़ईगिरी की शिक्षा देने तथा उन्हे कृषि विद्यालय देखने भेजना चाहिए'' (जगताप, 1993)।

- **खेल पद्धति–** ज्योतिराव बालकों को सिखाने हेतु खेल विधि के प्रयोग पर बल देते है। क्योकि बालक खेल–खेल में विषयवस्तु अधिक रोचकता व सरलता से सीख सकते है। इस विषय में ज्योतिराव ने लिखा है कि, ''लड़के या लड़की को जब कुछ

बोलना आ जाए तब उसकी मॉ को उसे स्वयं छोटे–छोटे वाक्य बोलना, सिखाना चाहिए और वर्णमाला को खेलते–खेलते याद कराना चाहिए'' (मेश्राम, 2002)।

- **संवाद पद्धति–** इस पद्धति में दो या दो से अधिक लोगों के बीच किसी विषय को लेकर वार्तालाप की जाती है और इस वार्तालाप के माध्यम से विभिन्न सूचनाओं, ज्ञान आदि की खोज की जाती है। ज्योतिराव ने अपने साहित्य में संवाद पद्धति को भी अपनाया है।

- **स्वाध्याय पद्धति–** ज्योतिराव स्वाध्याय पद्धति के भी समर्थक है उनका विचार था कि जिन युवकों के पास समय नही है वह स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते है और परीक्षा देकर विश्वविद्यालयों से बी.ए., एम.ए. की डिग्री प्राप्त कर सकते है (फुले, 1882)।

5.7 शिक्षक की संकल्पना–

किसी भी व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक को समाज की कुत्सित भावनाओं से रहित होकर शिक्षण कार्य में संलग्न रहना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक वह है जो सांप्रदायिकता, संकीर्णता, शोषण, अंधविश्वास व धार्मिक दृष्टिकोण से रहित होकर एक स्वस्थ समाज की स्थापना में प्रयत्नशील रहे।

19वीं शताब्दी में शिक्षा की स्थिति सोचनीय थी। शिक्षा पर पूर्ण रूप से जाति व्यवस्था व वर्ण व्यवस्था का प्रभाव था, जिसके कारण भेद–भाव अपनी चरम सीमा पर था। अधिकांशतः शिक्षक ब्राह्मण वर्ग के थे जो शूद्रातिशूद्रों के बालकों को शिक्षा प्रदान

करने के पक्ष में नही थे सवर्ण जाति के बालकों के साथ दलित बालकों को बैठाकर पढ़ने की अनुमति नही थी। परन्तु इन सब के बाद भी यदि शूद्र बालक विद्यालय जाते थे तो उन्हे शिक्षकों द्वारा अत्यधिक अपमानित व प्रताड़ित किया जाता था। इस स्थिति का वर्णन करते हुए ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक 'पॅवाड़ा– शिक्षा– विभाग के ब्राह्मण अध्यापक का में वर्णन किया है–

'ब्राह्मण पंडित जी करते हैं।।

शूद्रों की पढ़ाई मिट्टी में मिलाते है।।

सारी दुनिया को शुद्ध नमूना देखो यह राजनीति।

शूद्र को सरेआम सताते।। (फुले, 1869)।

ज्योतिराव ने तत्कालिक परिस्थितियों को भली–भॉति समझा और स्पष्ट किया कि समस्त महत्वपूर्ण पदों अध्यापक, निरीक्षक आदि पर उच्च वर्ग के लोग आसीन है उनका व्यवहार भी भेदभाव पूर्ण है वह कभी भी निम्न वर्ण के लोगों को शिक्षित नहीं होने देगें क्योकि शिक्षा प्राप्त कर शूद्रातिशूद्र भी उनके समकक्ष हो जाएंगे। इसलिए शिक्षक के सम्बंध में उनका विचार था कि अन्य वर्ण के लोगों को भी शिक्षक के रूप मे नियुक्त किया जाए। जिससे वह अपने लोगों की समस्याओं को समझकर पूर्ण निष्ठा व समानता के साथ शूद्रातिशूद्रों को शिक्षा प्रदान करें। ज्योतिराव ने अपनी पुस्तक 'पंवाडा ब्राह्मण अध्यापक का' में लिखा है–

'गुरू बनाइए अन्य जाति के लोगों को।

नमूनें सात्विक ज्ञान के।

पढ़ाने काम पंडित जी के ।

केवल माली कुनवे के।

दूसरे महार–मातंगो के।

बीस लीजिए केवल अनुभव के।' (फुले, 1869)।

ज्योतिराव ने हण्टर आयोग (1882) को दिये अपने प्रतिवेदन में शिक्षकों की नियुक्ति व कार्य शैली को लेकर विभिन्न सुझाव दिए हैं। उनका विचार था कि प्राथमिक विद्यालयों में जो अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे हैं वह प्रशिक्षित नही है उनकी शिक्षण पद्धति परम्परागत है। सरकार का यह दायित्व है कि वह शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करे। सरकार को सरकारी विद्यालयों में गैर ब्राह्मण शिक्षकों की नियुक्ति पर बल देना चाहिए क्योकि वह ब्राह्मण शिक्षकों की तुलना में वे कभी हल का हत्था व बढ़ई की कुल्हाड़ी पकड़ने में संकोच नही करेगे तथा निम्न वर्ग के लोगो के साथ सरलता से घुल मिल जाएंगे। शिक्षकों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में साधारण विषयों के साथ–साथ कृषि व स्वच्छता का प्राथमिक ज्ञान भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

ज्योतिराव का विचार था कि यदि शिक्षकों की कार्यक्षमता में सुधार लाना है तो उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना होगा। अतः उनके वेतनमान में वृद्धि करनी होगी। इसके लिये फुले का सुझाव था कि शिक्षकों का वेतन 12 रूपये से कम नहीं होना चाहिए तथा बड़े गाँवो के शिक्षकों का वेतन 15 से 20 रूपये तक होना चाहिए। वेतन के साथ शिक्षकों को भत्ता व प्रोत्साहन राशि भी मिलनीं चाहिए। ज्योतिराव का

विचार था कि शिक्षकों को प्रशिक्षित एवं पूर्ण योग्यता प्राप्त होना चाहिए तथा उसी व्यक्ति को शिक्षक बनने का अधिकार होना चाहिए जिसने छठी कक्षा मातृभाषा से उत्तीर्ण की हो। उनका परामर्श था कि उन्ही विद्यालयो को सरकारी अनुदान मिलने चाहिए जिनके शिक्षकों के पास आवश्यक सर्टिफिकेट हो जो उनकी योग्यता के प्रमाण पत्र होंगे। उनका मत था कि शिक्षको को छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता का निर्माण करना चाहिए।

5.8 छात्र की संकल्पना–

महात्मा ज्योतिराव फुले ने सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में छात्र को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उनका विश्वास था कि छात्र का विकास उसकी प्रकृति, रूचि व स्वभावानुसार होना चाहिए। वह छात्रों को परम्परागत आदर्शो एवं मूल्यों से ओत–प्रोत नही रखना चाहते थे वरन् उन्हे स्वतंत्र, चिंतनशील व प्रक्रिया सम्पन्न बनाना चाहते थे। वह छात्र में परिश्रम व लगनशीलता के गुण को अपरिहार्य मानते थे।

ज्योतिराव ने छात्रों के साथ हो रहे जातिगत भेदभाव व अनुचित व्यवहार की कठोर शब्दों में निंदा की है तथा सभी वर्णो के छात्रों के साथ समानता व न्यायपूर्ण व्यवहार का समर्थन किया है। उनका मत था कि अध्यापको का व्यवहार छात्रों के साथ यदि न्यायपूर्ण होगा तथा उन्हें स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जाएगा तभी छात्रों में अनुशासन, मूल्यों व चरित्र का विकास हो सकेगा।

5.9 गुरू–शिष्य सम्बंध–

भारत में आदिकाल से ही गुरू–शिष्य परम्परा चली आ रही है। प्राचीन काल में गुरू–शिष्य सम्बंधों का आधार गुरू का ज्ञान, मौलिकता, नैतिक बल, स्नेह भाव, ज्ञान प्रदान करने की निःस्वार्थ भावना, शिष्य में गुरू के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, समर्पण, आज्ञाकारिता तथा अनुशासन आदि थे। इन गुणों के आधार पर ही गुरू–शिष्य सम्बंधो के बीच पवित्रता बनी रहती थी। परन्तु समयान्तराल के साथ समाज में आए परिवर्तनों के चलते गुरू–शिष्य सम्बंधो में भी बदलााव आया है। वर्ण व्यवस्था व जातिगत भेदभाव के चलते गुरू का व्यवहार शिष्यों के प्रति भेदभाव पूर्ण हो गया है तथा शिष्यों के हृदय से भी गुरू के प्रति पूर्ण समर्पण व निष्ठा की भावना समाप्त होती जा रही है।

महात्मा ज्योतिराव फुले ने गुरू शिष्य सम्बंधो की व्याख्या करते हुये स्पष्ट किया है कि गुरू का कर्तव्य है कि वह अपने समस्त छात्रों के साथ समानता, प्रेम व न्याय संगत व्यवहार करे। गुरू को अपने शिष्यों के शारीरिक, नैतिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास पर सम्पूर्ण ध्यान देना चाहिए वही शिष्यों का कर्तव्य है कि वह गुरू के उपदेशों व आज्ञाओं का पालन करते हुये ज्ञानार्जन करें। ज्योतिराव फुले गुरू से अपेक्षा करते हैं कि वह विद्यालय में स्वस्थ व आनन्दप्रद वातावरण का निर्माण करे ताकि छात्रों में आत्मप्रेरित अनुशासन का विकास हो सके जिससे वह सही दिशा पर चलकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

5.10 अनुशासन–

शिक्षण प्रक्रिया में अनुशासन एक अत्यंत महत्वपूर्ण सम्प्रत्यय है क्योंकि ज्ञान का आदान–प्रदान तभी सुचारू रूप से संभव है जब वातावरण शांत हो, ह्रदयों में सौहार्द हो व पूर्ण निष्ठा हो यह अनुशासन के माध्यम से ही फलीभूत हो सकता है। सभी शिक्षा दर्शनों में अनुशासन के महत्व को स्वीकार किया गया है, उसके स्वरूप पृथक हो सकते हैं। किसी समाज में अनुशासन का स्वरूप कैसा होगा यह वहाँ की विचार धारा, संस्कृति तथा रहन–सहन के स्तर के आधार पर निर्धारित होता है।

19 वीं शताब्दी में सामाजिक स्थिति अत्यंत दोषपूर्ण थी। समाज में भेदभाव, असमानता, शोषण, ऊँच–नीच सर्वत्र व्याप्त था जिसका स्पष्ट प्रभाव शिक्षा व्यवस्था में भी दिखाई पड़ता है। ऐसे भेदभाव पूर्ण वातावरण में स्वस्थ अनुशासन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है क्येांकि छात्र अपने जीवन में अनुशासन व नैतिक आचरण शिक्षक से ही सीखते है। शिक्षक जैसा व्यवहार करता है छात्र वैसा ही अनुसरण करते है परन्तु जिस समाज में शिक्षक की मानसिकता ही भेदभाव पूर्ण व अन्याय पूर्ण हो वहाँ छात्रों से उत्तम व्यवहार की कामना करना व्यर्थ है । ज्योतिराव ने अपनी रचना 'पंवाड़ा ब्राह्मण अध्यापक का' में उच्च वर्ण व निम्न वर्ण के छात्रों के बीच अध्यापक द्वारा किये गये भेदभाव का स्पष्ट वर्णन किया है–

'स्वजाति से गलती करने पर बार–बार समझाते ।

शिक्षा समझाकर देते ।।

परजाति के बच्चे गलती करते, थप्पड़ , मुक्का मारते,

जोर से कान ऐंठते ।।

शूद्र बालक को मन से घायल करके भगा देते ।

केवल गिनती को रखते ।। '' (फुले,1869)।

इस प्रकार अनुशासन व दण्ड का स्वरूप, उच्च वर्ग व निम्न वर्ग के बालकों के लिये भिन्न था। ज्योतिराव ने ऐसे भेदभाव पूर्ण अनुशासन की कठोर शब्दों में निन्दा की है व सभी छात्रों के साथ समानता का न्यायपूर्ण व्यवहार का समर्थन किया है । ज्योतिराव ने दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया है । उनके अनुसार सबसे उत्तम अनुशासन आत्मप्रेरित अनुशासन है। उनका मानना था कि शिक्षकों को ऐसे सामाजिक वातावरण का सृजन करना चाहिए जिसमें छात्र एक दूसरे के निकट आ सकें व उच्च आदर्शो एवं आचरण को ग्रहण कर सकें ।

विद्यालय एक संस्था है इसकी कार्यप्रणाली एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भयमुक्त होना अति आवश्यक है इसके अभाव में छात्रों का स्वाभाविक विकास सम्भव नही है। विद्यालय में भयमुक्त वातावरण बनाने का कार्य शिक्षको द्वारा ही सम्भव है। विद्यालय में नकारात्मक सामाजिक प्रवृत्तियाँ जैसे जातिवाद, उद्दण्डता, ऊॅच–नीच की भावना समाज से ही आती है क्योंकि विद्यालय का प्रत्येक सदस्य समाज का ही अंग है। हेमलता आचार्य जी ने अपनी पुस्तक में ज्योतिराव के अनुशासन सम्बंधी विचार के बारे में लिखा है कि ''विद्यालय आने वाले बच्चे अनुशासनात्मक रूप से विद्यालय नहीं आते थे, भेदभाव के कारण उनमें शिक्षा के प्रति रूचि नहीं थी। विद्यालय के बच्चे अन्य बिगड़ैल अशिक्षित बच्चों के साथ रहते जिसके कारण वे विद्यालय में अनुशासन का

पालन नहीं करते थे। वे घर से निकलकर रास्ते में ही खेलने लग जाते'' (आचार्य, 2015)।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ज्योतिराव फुले का अनुशासन के सम्बंध में विचार था कि विद्यालय में शिक्षको द्वारा भेद–भाव व भय का वाताावरण समाप्त करके परस्पर सहयोग की भावना का विकास कर स्वानुशासन को महत्व प्रदान किया जाये।

5.11 विद्यालय–

किसी भी देश समाज, राष्ट्र में विद्यालय का निर्माण समाज की आवश्यकतानुसार किया जाता है। विद्यालय का स्वरूप समाज की संस्कृति, सभ्यता के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ सभी को बिना भेदभाव ज्ञान प्रदान किया जाता है। ज्योतिराव के समय विद्यालयों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम थी तथा जो विद्यालय थे भी उन पर धर्म व जाति के इतने बंधन थे कि सभी के लिये सामान्य व समान शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। ज्योतिराव ने हण्टर आयोग (1882) को दिये गये अपने प्रतिवेदन में विद्यालयों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हालांकि अब प्राथमिक विद्यालयों की संख्या पहले की तुलना में अधिक हो गयी है परन्तु अभी भी यह समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। उन्होने अनुमान व्यक्त किया है कि गाँव में रहने वाले लगभग 10 लाख बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित है। कुछ वर्गो के लोग प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा लेते है परन्तु निर्धनता व अन्य कारणों से उन्हे मध्यावधि में ही विद्यालय छोड़ना पड़ता है क्योकि उन्हें विद्यालयों से किसी प्रकार की सुविधाएं नही मिल पाती हैं। सरकार को विद्यालयों की

मात्रात्मक वृद्धि के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि पर भी ध्यान देना चाहिए। छात्रों को छात्रवृत्ति व पुरस्कार आदि के माध्यम से विद्यालयों की ओर आकर्षित करना चाहिए। उन्होने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि ''चूँकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में भेद–भाव है शूद्रातिशूद्रों को सवर्ण वर्ग के बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने का अधिकार नही है अतः उनके लिये विशेष विद्यालयों की स्थापना सरकार द्वारा की जानी चाहिए।'' विद्यालयों का विकेन्द्रीकरण होने के कारण बड़े–बड़े शहरों में तो विद्यालय है परन्तु ग्रामीण स्तर पर स्थिति अत्यधिक दयनीय है। फुले ने स्पष्ट किया है कि पूरे पूना में जहॉ जनसंख्या 5000 से अधिक है वहॉ केवल एक विद्यालय है तथा छात्रों की उपस्थिति मात्र 30 है। यह स्थिति भयावह है इस पर सरकार को ठोस कदम उठानें की आवश्यकता है। फुले ने विचार व्यक्त किया कि विद्यालयों की स्थिति तभी सुधरेगी जब उनका नियमित निरीक्षण होगा। विद्यालयों पर हो रहे खर्चे की जवाबदेही संबंधित संस्था 'म्युनसिपॉलिटी व नगरपालिका को सुनिश्चित करनी होगी।

ज्योतिराव ने Indigenous School 'स्वदेशी विद्यालयों' के सम्बंध में भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक शिक्षा की नवीनतम् रिपोर्ट से यह पता चलता है कि वर्तमान समय में स्वदेशी विद्यालयों की संख्या 1049 है जिसमें 27694 छात्र अध्ययनरत् है परन्तु उनकी शिक्षा प्रणाली का स्वरूप आज भी परम्परागत व प्राचीन है। उनके शिक्षक सामान्यतः ब्राह्मण समाज से ही है, जो आधुनिकता को स्वीकार करने को तैयार नही हैं। स्वदेशी विद्यालयों में सुधार तभी संभव है जब उनमें प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक हो व उन्हें मातृभाषा का अच्छा ज्ञान हो। स्वदेशी विद्यालयों के

समक्ष आर्थिक समस्या भी है अतः इन विद्यालयों को सरकार द्वारा अनुदान भी मिलना चाहिए (फुले, 1882)।

उच्च शिक्षा संस्थानों के संदर्भ में ज्योतिराव का स्पष्ट मत था कि उन्हे व्यक्तिगत हाथों में नही सौपा जाना चाहिए। वरन् उन पर पूर्ण नियंत्रण सरकार का होना चाहिए ताकि सभी वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके (आगलावे, 2005)। उनके अनुसार महाविद्यालयों को मात्र ज्ञान देने वाला ही नही होना चाहिए वरन् उनका स्वरूप व्यवहारिक, होना चाहिए महाविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा व रोजगारपरक शिक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार ज्योतिराव के विद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना व संचालन के सम्बंध में विचार अत्यंत स्पष्ट है। उन्होने मात्र विचार ही नही दिये अपितु स्वयं उन पर अमल भी किया। परिणामस्वरूप उन्होने अछूतों के लिये पहली पाठशाला खोली व वैसे ही छात्रों हेतु पहला पुस्तकालय भी बनाया। यह तो मात्र प्रारम्भ था समय के साथ उन्होने अनेक दलित विद्यालय, महिला विद्यालय, रात्रि पाठशालाएं खोली, जिनमें दिनभर कार्यरत रहनें वाले मजदूर, किसान व गृहणियाँ पढ़ने आती थी ।

ज्योतिराव ने मात्र दलितों व महिलाओं की शिक्षा हेतु कार्य नहीं किया वरन् समस्त वर्गो का ध्यान रखा है। मुसलमानों में शिक्षा के स्तर को सुधारनें के लिये फुले ने हण्टर आयोग को दिये अपनें प्रतिवेदन में उनके लिये उन्ही की भाषा (उर्दू) माध्यम में पृथक पाठशालाओं की स्थापना का सुझाव दिया है।

5.12 स्त्री शिक्षा–

हिन्दू धर्म में नारी को देवी का स्थान प्रदान कर दिया गया लेकिन स्वतंत्र मानव के रूप में उसके अस्तित्व को कभी भी स्वीकार नहीं किया गया । नारी को शूद्रों के समान ही तुच्छ मान कर उसे मूलभूत मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया । प्राचीन हिन्दू धर्म ग्रन्थ मनुस्मृति में महिलाओं के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारते हुए लिखा गया है

पिता रक्षति कौमार्ये भर्ता रक्षति यौवने ।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्रयं अर्हति ।।

इस प्रकार पुरूषों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिये धर्मग्रन्थों का सहारा लिया । धर्म का सहारा लेकर महिलाओं को शास्त्र एवं धनविहीन कर दिया गया। 19 वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते नारी विषम परिस्थितियों से घिर चुकी थी बालविवाह , सती प्रथा, परदा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बालहत्या, केशवपन, शिक्षा पर प्रतिबंध आदि क्रूर एवं आमानवीय प्रथाओं के कारण महिलाओं को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता था।

महात्मा ज्योतिराव ने नारियों के उद्धार व अधिकारों के लिये जो प्रयास किये वह परम सराहनीय हैं । फुले जी ने 1848 ई पुणे में बुधवार पेठ स्थित भिडे हेवली में स्त्रियों की प्रथम पाठशाला प्रारम्भ की तथा जब इस पाठशाला में पढ़ाने के लिये कोई अध्यापक नहीं मिला तो उन्होनें स्वयं शिक्षण कार्य किया। आगे चलकर अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को शिक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा। सावित्री बाई फुले को निम्न जाति की प्रथम शिक्षिका के रूप में जाना जाता है।

ज्योतिराव फुले शिक्षा में लिंग भेद के विराधी थे। उन्होनें अपनी पुस्तक 'अखण्डादि काव्य रचना ' में लिखा है –

नर– नारी के लिये स्कूल खोलिये ।

ज्ञान बढ़ाइये भेदभाव नहीं ।। (मेश्राम, 2002)।

ज्योतिराव ने नारी शिक्षा का कार्य पूर्ण लगन से किया जिससे उनके विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या भी बढ़ने लगी थी। उन्होनें नारी शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु एक समारोह (1853) पूना में आयोजित किया था। जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस समारोह में स्त्री शिक्षा की स्थिति पर विचार विमर्श हुआ तथा उपस्थित विद्वानों ने ज्योतिराव फुलें के स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु किये जा रहे प्रयासों की सराहना की (आगलावे, 2005)।

ज्योतिराव फुले द्वारा संचालित बालिका विद्यालयों में सभी वर्गो की बालिकाओं को प्रवेश लेने व अध्ययन की सुविधा उपलब्ध थी। इससे जाति व धर्म के आधार पर कोई भेद–भाव नही किया जाता था। इन बालिका विद्यालयों में वाचन, लेखन, अंकगणित, व्याकरण आदि विषय पढ़ाए जाते थे (आचार्य , 2015)।

ज्योतिराव फुले का उद्देश्य स्त्रियों को मात्र साक्षर करना ही नहीं था वरन् उन्हें उसके अधिकारों के प्रति सचेत करना भी था। वे महिला सशक्तीकरण के पक्षधर थे। उनका मानना था कि महिलाओं को शिक्षित करने से पूरा परिवार शिक्षित व सुसंस्कृत होता है। इसी कारण वे महिला शिक्षा के लिये जीवन पर्यन्त कार्य करते रहे।

5.13 कृषि शिक्षा–

भारत एक कृषि प्रधान देश है । परन्तु इस देश में किसान और श्रमिक वर्ग सदैव उपेक्षित रहा है । 19 वीं शताब्दी में तो किसानों की स्थिति ह्दय विदारक थी । किसानों को धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आदि समस्त प्रकार के शोषण को सहन करना पड़ता था। उनका शोषण उच्च वर्ग व साहूकारो द्वारा किया जाता था ज्योतिराव फुले ने उनके शोषण का मुख्य कारण उनकी अज्ञानता को माना है। अतः उन्होने हण्टर आयोग (1882) को दिये गये अपने प्रतिवेदन में अग्रेंज सरकार से निवेदन किया है कि सरकार को किसानों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरोज आगलावे ने अपनी पुस्तक में किसानों की स्थिति व शिक्षा के सम्बंधो में ज्योतिराव के विचारो का वर्णन करते हुये लिखा है कि शूद्र किसानों के बच्चों को विद्वान बनाने के लिये उन्हीं की जाति के ही शिक्षक नियुक्ति किये जाये जो स्वयं खेत में बीज बोने के तरीके, घास निकालने के औजार और हल चलाकर दिखा सके किसानो को जागरूक करके पाठशालाओं में किसानों के बच्चों को पढ़ने भेजना चाहिए। किसानों के बच्चों में शिक्षा के प्रति अभिरूचि उत्पन्न करने के लिये कुछ वर्षो तक उनका पाठ्यक्रम सरल रखा जाए व परीक्षा पद्वति में भी उदारता दर्शायी जाए।

किसानों के बालकों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिये उन्हें भी उपाधियाँ प्रदान की जाएं। उनके पाठ्यक्रम में खेती के प्रशिक्षण को विशेष तौर पर सम्मिलित किया जाए। ऐसे पढ़े लिखे व सद्गुणी बालकों को गाँव का मुखिया बनने

का अवसर दिया जाए। जिससे वह अपनी तथा अपने जैसे अन्य किसानों की स्थिति में सुधार कर सकें (आगलावे, 2005)।

फुले ने सरकार से यह भी अनुरोध किया कि किसानों के शिक्षित बालकों को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी प्रदान की जाए ताकि कृषि से रोजगार का भार कम हो सके। ज्योतिराव ने कृषि में सुधार हेतु किसानों की शैक्षिक पाठ्यचर्या में संशोधन हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए–

1. किसानों को कृषि का ज्ञान प्रदान करना व उन्हें मशीनों तथा उपकरणों के माध्यम से खेती करना सिखाना ।
2. किसानों को पशुओं के मल–मूत्र से खाद बनाने तथा उसके उपयोग की जानकारी प्रदान करना ।
3. कृषि प्रर्दशनियों का आयोजन करवाना तथा उत्तम किसानों को पुरस्कार व उपाधियाँ प्रदान करना ।
4. किसानों के बालकों को कृषिशाला देखने हेतु विदेश भेजना ।
5. किसानों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना ताकि वह विभिन्न रोगों व व्यसनों से बच सकें।
6. किसानों के बालकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करना जिससे वह समाज में व्याप्त व्याधियों, आडम्बरों से मुक्त हो सके ।
7. किसानों को जल संरक्षण के नये तरीकों को अपनाने की सीख दी जाए ।

ज्योतिराव ने अपनी पुस्तक अछूतो की कैफियत में महार मातंग जाति के दो लोग महारानी से किसानो की दशा का वर्णन करते हुये अपना पक्ष रखते है और बताते है कि हमारी कृपामयी महारानी माँ साहिबा .....अज्ञानी किसानों से जितना लोकल फंड जर्बदस्ती वसूल करती है वह सारा पैसा शूद्र व अतिशूद्र तथा किसानों के बच्चों के लिये विद्यालय खोलने के काम में और उस विद्यालय में खेती के तथा उससे संबधित सारी कला विद्याएं सिखाने के काम मे लगाया जाये।

निष्कर्षतः स्पष्ट है कि ज्योतिराव फुले ने कृषि शिक्षा को अत्यधिक महत्व प्रदान किया और उसे व्यवहारिक, तकनीकियुक्त व आधुनिक बनाने पर बल दिया।

5.14 मूल्य एवं नैतिक शिक्षा–

नैतिकता, ईमानदारी,सत्यनिष्ठा आदि मूल्य किसी भी सभ्य समाज के आदर्श तत्व माने गये हैं। यह शाश्वत नियम प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। मानव गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय आदि लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा व्यक्ति एवं समाज के विकास हेतु नितान्त आवश्यक है। ज्योतिराव ने अपने आसपास के तत्कालीन समाज की अनेक बुराइयों का विरोध किया। वे मानवतावादी दार्शनिक थे उनके अनुसार मानवता सभी धर्मो से सर्वोपरि है वह जीवन भर मानवता की रक्षा के लिये प्रयासरत रहे। उनका विचार था यदि समाज में समानता व भ्रातृत्व का विकास करना है तो शिक्षा के मूल ढांचे में बदलाव लाना होगा तथा उसमें मूल्य व नैतिक शिक्षा को स्थान दिया जाना चाहिए। उनका विचार था कि धार्मिक शिक्षा प्रदान करने

से व्यक्ति परम्परागत परिपाटियों पर ही चलता रहता है उसमें तार्किक चिंतन का विकास नही हो पाता है। ज्योतिराव फुले ने धर्म व सत्य को अलग करके नही देखा उनके दृष्टिकोण में धर्म व सत्य एक ही तत्व है तथा सत्य का आचरण करना ही मानव का मूल कर्तव्य है जिसे शिक्षा के माध्यम से छात्रों को सिखाना चाहिए। ज्योतिराव ने अपनी पुस्तक 'अखण्डादि काव्य रचना' में नीति विषय पर विस्तार से लेखन कार्य किया है तथा लिखा है–

'अपने हित के लिये सत्य से चलिए। सुमार्ग पर लगावें भाइयों।।

अपना वर्ताव पहले करो ठीक। दुर्गुणों से घृणा। सही सुख।।

मानवीसुख में हिस्सेदार होते। फल को पाते। सभी मिलकर।।

मानवों का धर्म सत्य, सही नीति। बाकी कुनीति। जोती कहे।। (फुले, 1991)।

ज्योतिराव ने अपनी सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक में भी मूल्य व नैतिक शिक्षा पर विस्तार से चर्चा करते हुये विभिन्न नैतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। जैसे –

1. दूसरों के साथ शोषण व जबरदस्ती नही करनी चाहिए।
2. सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए।
3. दूसरे धर्मो का सम्मान करना चाहिए।
4. मादक पदार्थो से दूर रहना चाहिए।
5. प्राणी हत्या नही करनी चाहिए।
6. चोरी, झूठ, व्यभिचार को निषिद्ध किया है।
7. वृद्ध माता–पिता की सेवा करनी चाहिए।

8. विद्यालय में बालकों के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए।

9. न्याय करते समय निष्पक्ष रहना चाहिए।

10. अनाथ, पंगु, कुष्ठ रोगी की सहायता करनी चाहिए।

11. किसी व्यवसाय को निम्न या बुरा नही समझना चाहिए।

12. उदर–पोषण के लिये कार्य–कौशल को मान सम्मान प्रदान किया जाए।

महात्मा ज्योतिराव फुले ने नैतिक मूल्यों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है उनके अनुसार सत्य का पालन, जीवो पर दया करना व समानता आदि नैतिक मूल्यो का व्यक्तित्व में समावेश आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा इन मूल्यों का समावेश बालक के जीवन में किया जाना चाहिये।

5.15 शिक्षक प्रशिक्षण–

महात्मा ज्योतिराव फुले के विचार व कार्य मात्र शिक्षा के प्रचार प्रसार तक ही सीमित नहीं थें वरन् उन्होंने प्रत्येक स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु सुझाव दिये। शिक्षा प्रक्रिया की धुरी शिक्षक होता है अतः ज्योतिराव फुले ने शिक्षक की भूमिका व कार्यशैली पर विस्तार से प्रकाश डाला है उनका मानना था कि शिक्षक की सकारात्मक प्रेरणा से ही छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न किया जा सकता है। यदि शिक्षक छात्रों की मनोवृत्ति, रूचियों, आवश्यकताओं व क्षमता के अनुसार ज्ञान प्रदान करता है तो निश्चित ही छात्र अपने जीवन लक्ष्य को अत्यन्त सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु 19वीं शताब्दी में समाज में भेदभाव, जातिप्रथा, असमानता अपने चरमोत्कर्ष पर थे जिनका सीधा प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा। मात्र उच्च वर्ण के लोगों को

ही शिक्षक बनने का अधिकार था अतः अत्यंत कम पढ़े लिखे व अप्रशिक्षित लोग भी शिक्षक बन जाते थे जिसका दुष्परिणाम शिक्षा में विभिन्न विकृतियों के रूप में दृष्टिगत होता है।

महात्मा ज्योतिराव फुले ने हण्टर आयोग (1882) को दिये अपने प्रतिवेदन में ब्रिटिश सरकार से शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने व इस दिशा में कठोर कदम उठाने की बात की है। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि है कि प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण की विशेष रूप से व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण का सम्पूर्ण दायित्व सरकारी नियंत्रण में हो तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की अधिक से अधिक स्थापना की जाए। इन केन्द्रो में समस्त वर्गो के शिक्षकों को प्रशिक्षित कराकर उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए। ये प्रमाणपत्र ही उनकी नियुक्ति का आधार होना चाहिए।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विस्तृत पाठ्यक्रम की सरंचना हो जिसमें शिक्षकों को बिना भेदभाव के समान रूप से सभी वर्गो के छात्रों को ज्ञान देने हेतु प्रेरित किया जाए। बाल– विज्ञान, बाल विकास, मूल्य एवं नैतिक शिक्षा आदि का भी ज्ञान प्रशिक्षण के अर्न्तगत अध्यापको को प्रदान किया जाना चाहिए। महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षको को व्यवहारिक व प्रयोगात्मक ज्ञान भी प्रदान करने पर बल दिया है जिससे वह छात्रों को कुटीर उद्योग, कृषि शिक्षा, जल संरक्षण, वन संरक्षण आदि का व्यवहारिक व उपयोगितापरक ज्ञान भी प्रदान कर सकें। महात्मा ज्योतिराव फुले का मानना था कि उत्तम व्यवहार व शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण प्राप्त करके ही शिक्षक वास्तविक ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर सकता है।

5.16 प्रौढ़ शिक्षा–

वर्तमान समय में प्रचलित जन शिक्षा पर आधारित प्रौढ़ शिक्षा की संकल्पना का महत्व महात्मा ज्योतिराव ने 19 वीं शताब्दी में ही स्वीकार कर लिया था तथा उसे वास्तविक पटल पर प्रस्तुत किया। ज्योतिराव ने 1855 ई0 में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने दिन भर खेतों में व अन्य स्थानों पर कार्य करने वाले किसान, मजदूर व गृहणियों के लिये रात्रि–पाठशाला प्रारम्भ की। यह भारत की प्रथम रात्रि पाठशाला व प्रौढ़शाला मानी जाती है।

ज्योतिराव ने शिक्षा को घर–घर तक पहुँचाने की पहल की थी। रात्रि पाठशाला खोलकर ज्योतिराव ने उन लोगों को शिक्षा के लिये प्रेरित किया जो पूर्व में शिक्षा प्राप्त नही कर पाये थे। उनका विश्वास था कि प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से लोगों को सामान्य शिक्षा (पढ़ना–लिखना) का ज्ञान प्रदान कर उन्हें उनके अधिकारों से परिचित कराया जा सकता है तथा सामान्य शिक्षा के प्रचार–प्रसार से ही समाज में व्याप्त बुराईयो से मुक्ति मिल सकती है।

5.17 छात्रावास–

तत्कालीन समाज में सुविधाओं की नितांत कमी थी तथा जो वर्ग आर्थिक दृष्टि से कमजोर था उसके लिये तो समस्याएं अत्यन्त गंभीर थी। उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को शहर आना पड़ता था शहर में रहने के लिये छात्रावास का प्रबंध करना बड़ी समस्या थी। अतः ज्योतिराव ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए पूना में अपने घर के समीप एक छात्रावास की व्यवस्था की । इस छात्रावास में समय सारणी के अनुसार ही

प्रत्येक छात्र को रहना पड़ता था। ज्योतिराव फुले छात्रों मे अच्छे संस्कारों की स्थापना व उनकी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने हेतु स्वयं प्रयासरत रहते थे। उनके छात्रावास में मुम्बई, ठाणे, जुन्नर आदि स्थानों के 25–30 विद्यार्थी रहते थे उनसे ज्योतिराव को जो शुल्क प्राप्त होता था उससे वह गरीब बालको को निःशुल्क छात्रावास की सुविधा देते थे। फुले दम्पत्ति का आवास विद्यादान का मुख्य केन्द्र था। ज्योतिराव की मृत्यु के पश्चात् इस छात्रावास की देखरेख सावित्रीबाई फुले व यशवंत ने की (आचार्य, 2015)।

5.18 शिक्षा के विभिन्न स्तरो के सम्बंध में ज्योतिराव फुले के विचार–

सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया एक सुचारू संचालन करने के लिये शिक्षाविद्ों ने शिक्षा को कई स्तरों में विभाजित कर दिया है। जिससे प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या, शिक्षणविधियाँ, कार्यपद्धति आदि का निर्धारण सुचारू ढ़ंग से किया जा सके। शिक्षा के विभिन्न स्तरों के माध्यम से छात्रों को उनकी रूचि, रूझान, योग्यता, क्षमता व आयु के अनुसार प्रभावपूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकती है। सामान्यतः शिक्षा को प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर में विभाजित किया गया है।

ज्योतिराव ने अपने शैक्षिक चिंतन में शिक्षा के उपर्युक्त तीनों स्तरों पर अपने विचार प्रस्तुत किये है जो निम्नवत् है–

- **प्राथमिक शिक्षा–**

ज्योतिराव ने प्राथमिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया था। फुले ने हण्टर आयोग (1882) को दिये गये अपने प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा की है तथा सरकार से आग्रह

किया है कि देश में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। उन्होनें 12 वर्ष आयु तक के बालको को अनिवार्य व निःशुल्क रूप से शिक्षा देने की बात की है। वह विद्यालयों में मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार की वृद्धि व विकास के पक्षधर थे। फुले ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षा पर पूर्ण रूप से ब्राह्मण वर्ग का आधिपत्य है तथा आज भी वहॉ परम्परागत ढंग से शिक्षण कार्य किया जा रहा है उन्होनें देशज विद्यालयों की स्थिति में सुधार की बात कही है उनका विचार था कि देशज विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षक है जो मात्र मराठी, मोड़ी, लिखना–पढ़ना, पहाड़ा याद करना आदि आधारभूत ज्ञान देने में ही सक्षम है। अतः आवश्यकता है इन विद्यालयों के स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया जाये फुले ने शिक्षकों का वेतन बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया है।

ज्योतिराव ने हण्टर आयोग को दिये प्रतिवेदन में प्राथमिक विद्यालयों की नियमित जॉच व निरीक्षण का अनुरोध किया है ताकि शिक्षकों की कार्यपद्धति में सुधार लाया जा सके। सरकार को कर के रूप में जो धनराशि मिलती है उसके खर्च का सम्पूर्ण ब्योरा निर्धारित होना चाहिए ताकि निर्धनों से प्राप्त धनराशि को उन्ही के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यय किया जा सके।

इस प्रकार ज्योतिराव के विचार प्राथमिक शिक्षा के विषय में अत्यंत वस्तुनिष्ठ है।

- **माध्यमिक शिक्षा–**

ज्योतिराव फुले ने माध्यमिक शिक्षा को सरकारी नियन्त्रण में संचालित किये जाने तथा निजी माध्यमिक विद्यालयों को पर्याप्त सरकारी अनुदान दिये जाने का समर्थन किया है उनका मत था कि ''जो निजी पाठशालाएं चल रही है उनकी शिक्षा का प्रवंध तो अच्छा है किन्तु जनता को उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इन विद्यालयों को बंद किया तो छात्रों को अयोग्य व जातिवादी पाठशालाओं की शरण में जाना पड़ेगा। अतः सरकार आगामी कई वर्षो तक शिक्षा विभाग पर पूर्णतः नियंत्रण रखे..... विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, भावे आदि के निजी विद्यालयों को पर्याप्त अनुदान दिया जाए जिससे वे ठोस कार्य कर सकें किन्तु फिर भी कार्यक्षमता इतनीं बढ़ने की संभावना नही है। अतएव सरकार सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था की ओर भरपूर ध्यान दें''।

माध्यमिक विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार हेतु ज्योतिराव का सुझाव था कि पाठशालाओं के निरीक्षण कार्य वर्ष में एक बार नही चार बार किया जाना चाहिए। यह निरीक्षण औचक होना चाहिए जिससे वास्तविक स्तर व गुणवत्ता का पता लग सके।

- **उच्च शिक्षा–**

ज्योतिराव फुले का उच्च शिक्षा के सम्बंध में मत था कि सरकार इस स्तर पर पर्याप्त ध्यान दे रही है परन्तु यह प्रयास वर्ग विशेष तक ही सीमित है। अतः सरकार को जनसाधारण तक उच्च शिक्षा का लाभ पहुँचाने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिए।

फुले उच्च शिक्षा का कार्यभार निजी संस्थाओं को सौपने के विरोधी थे। उनका मानना था कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षा चाहे वह व्यवसायिक, तकनीकी या रोजगारपरक ही क्यों न हो सरकारी नियंत्रण में ही रहनी चाहिए। ज्योतिराव ने उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों द्वारा निजी अध्ययन को प्राथमिकता देने पर बल दिया है जिससे युवक अन्य कार्य करते हुए स्वाध्याय कर बी.ए., एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री प्राप्त कर सकें। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के महत्व को फुले ने स्वीकार किया था।

ज्योतिराव फुले के अनुसार उच्च शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिये हण्टर कमीशन को दिये गये प्रतिवेदन में उन्होने लिखा है कि उच्च शिक्षा में छात्रों को तकनीकी व व्यवहारिक शिक्षा अवश्य प्रदान की जाये जिससे लोगो की कृषि पर निर्भरता कम हो और तकनीकी विकास से आर्थिक विकास की गति तेज हो सके।

महात्मा ज्योतिराव फुले ने उच्च स्तर पर भी छात्रवृत्तियाँ प्रदान किये जाने का सुझाव दिया उन्होने हण्टर आयोग को दिये गये अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि जिन वर्गो में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो चुका है उन छात्रों को प्रतियोगिता के आधार पर छात्रवृत्तियाँ दी जाये परन्तु अपवंचित वर्ग (शूद्र व नारी) के संदर्भ में प्रतियोगिता के आधार पर छात्रवृत्तियाँ देना न्यायसंगत नही होगा। इस प्रकार ज्योतिराव फुले जनसामान्य की उच्च शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ उच्च शिक्षा में व्यवहारिक व तकनीकी शिक्षा को सम्मिलित किये जाने के पक्षधर थे।

5.19 ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीति के सन्दर्भ में ज्योतिराव फुले के विचार–

अंग्रेजो ने भारत में सर्वप्रथम समानता पर आधारित शिक्षा की नींव रखी उन्होने ज्ञान के दरवाजे समस्त जातियो व वर्गो के लिये खोल दिये। कनिष्ठ जाति को शिक्षा देने पर ब्राह्मणों के विरोध तथा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् निम्न जातियाँ जो कि संख्या में सर्वाधिक थी, में जागृति व चेतना के भय से ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा देने का कार्य उच्च वर्ग के अनुकूल ही बना लिया था।

इसी क्रम में लार्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन कर फरवरी 1835 को सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विवरण पत्र गर्वनर जनरल की कौंसिल के समक्ष रखा लार्ड विलियम बैंटिक ने मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृत कर लिया व उसी के आधार पर 7 मार्च 1855 को बैंटिक ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। विवरण पत्र में मैकाले ने भारतीय शिक्षा व साहित्य की आलोचना की तथा शिक्षा में निष्यंदन सिद्धान्त को प्रोत्साहन प्रदान किया। मैकाले ने स्पष्ट किया है कि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम सर्वसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था करें इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी और उच्च वर्ग से शिक्षा का प्रकाश सर्वसाधारण तक छन–छन कर पहुँच जाएगा।

महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस सिद्वांत की कठोर शब्दों में निंदा की । तथा स्पष्ट किया कि हमारी जातिबद्व समाज व्यवस्था में यह सिद्वांत लागू नहीं होता है जहाँ ज्ञान के विषय मे सैकड़ों वर्षो की परम्परा विशिष्ट जाति तक ही सीमित है। महात्मा

ज्योतिराव फुले ने हण्टर शिक्षा आयोग को 1882 को दिये गये निवेदन में फुले ने शिक्षा को नीचे से ऊपर जाने के पक्ष में सिद्धांत प्रस्तुत किया।

सत्यपाल सिंह ने कुरूक्षेत्र पत्रिका में प्रकाशित लेख में उद्धृत किया है कि ज्योतिराव ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ''आप शिक्षा का प्रारम्भ नीचे से ऊपर करें, ऊपर से नीचे नहीं, पहले नींव और फिर कलश। आपके इंग्लैण्ड में शायद पहले कलश और नींव का निर्माण बाद में संभव हुआ हो लेकिन हमारे यहाँ यह संभव नहीं है । हमारे यहाँ वर्ग भेद है, जाति भेद है, हमारा समाज अखंड अभिन्न नहीं है, ये ऊंचाई पर रहने वाले लोग ज्ञान को निचले लोगों तक आने नहीं देंगे। वे नहरें नहीं खोदेंगे, बांध बनाएंगे और पानी को ऊपर ही रोक लेंगे। वे आज तक ज्ञान गंगा का पानी रोकते रहे है , आप उन्हें शिक्षा के अधिकार मत सौंपिए, यह जिम्मेदारी आप स्वयं उठाएं (सिंह, 2003)।

निष्यंदन सिद्धान्त के विरोध के बावजूद महात्मा ज्योतिराव फुले ने अंग्रेजों की समानता व अन्य प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा का समर्थन किया। आपने अंग्रेजो की उदारवादी सामाजिक व शैक्षिक नीतियों का समर्थन किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने शूद्र व अन्य निम्नजातियों का आह्वाहन किया कि वे अंग्रेजो की उदारवादी नीतियों का समर्थन करें व अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने विद्यालय अवश्य भेजे। जिससे उनकी सदियों की गुलामी से आजादी का मार्ग प्रशस्त हो सके।

ज्योतिराव फुले ने शिक्षा के माध्यम से शूद्रातिशूद्रों व स्त्रियों में आत्म सम्मान जगाया और बताया कि सामाजिक दासता उनके पूर्वजन्मों का फल नही है। यह अशिक्षा और शताब्दियों से थोपी गयी मानसिक दासता का फल है। महात्मा ज्योतिराव के शैक्षिक विचारों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि ज्योतिराव फुले ने शिक्षा के समस्त आयामों पर अत्यन्त तार्किक विचार प्रस्तुत किये हैं। फुले ने सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन का समर्थन किया था क्योंकि जब तक शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होगा तब तक समाज में नैतिक मूल्य एवं आदर्शों की स्थापना संभव नहीं है।